

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
पी.एम.एफ.एम.ई.

संक्षिप्त मार्गदर्शिका

सूक्ष्म उद्यमों के सामने आ रही विभिन्न चुनौतियाँ जैसे— उत्पाद का कम से कम बर्बादी, पूँजी, कौशल, तकनीकी सुविधा एवं जागरूकता के अभाव इत्यादि का समाधान करने और इन उद्यमों के उन्नयन तथा औपचारीकरण में सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (PMFME) योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना की अवधि 5 वर्षों की है अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के उद्देश्यः—

1. सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता निर्माण करना है
2. मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एफ० पी० ओ०, स्वयं सहायता समूहों (एस०एच०जी०) एवं सहकारिता द्वारा बैंक क्रेडिट के लिए पहुँच क्षमता को बढ़ाना है।
3. ब्रांडिंग तथा विपणन को मजबूत एवं संगठित बनाना है ताकि आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण किया जा सके।
4. मौजूदा उद्यमों को औपचारिक संरचना (फ्रेमवर्क) में अंतरण करने के लिए सहायता प्रदान करना है।
5. सामान्य सेवाओं जैसे सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, भंडारण, पैकिंग, विपणन और इन्क्यूवेशन सेंटर तक पहुँच बनाने हेतु सहायता करना।
6. खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संस्थाओं का अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण (ट्रेनिंग) को मजबूती प्रदान करना है।

लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता :-

1. आवेदन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
3. नए उद्यम, चाहे वे निजी हो या समूहों के लिए हो।

नोट :- परिवार में स्वयं, पति/पत्नी और बच्चे शामिल होंगे।

योजना से प्राप्त होने वाले लाभ/अनुदान निम्नवत है :-

1. व्यक्तिगत श्रेणियों के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा के साथ क्रेडिट लिंक पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है। न्यूनतम 10 प्रतिशत योगदान लाभार्थी का और शेष राशि बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है।
2. किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है।
3. प्रारंभिक पूंजी 40,000 रुपये तक खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत SHG के प्रति सदस्य की दर से कार्यशील पूंजी का प्रावधान है।
4. योजना के अन्तर्गत सामान्य अवसंरचना (common infrastructure) के सृजन हेतु FPO/SHG सहकारी समितियाँ/राज्य एजेंसियों या निजी उद्यमों को सामान्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। जैसे- सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, उष्मायन केन्द्र, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, आदि शामिल है।
5. FPO/SHG/ सहकारी समितियाँ/राज्य एजेंसियों को ब्रांडिंग और विपणन (Marketing & Branding) के प्रस्तावों के लिए DPR तैयार करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी से 5 लाख रुपये तक का अनुदान का प्रावधान है।
6. FPO/SHG/ सहकारी समितियाँ/राज्य एजेंसियों को ब्रांडिंग और विपणन (Marketing & Branding) के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ कुल व्यय का 50 प्रतिशत तक का अनुदान का प्रावधान है।

आवेदन करने की प्रक्रिया :-

1. सर्वप्रथम निवेशक ऑनलाईन पोर्टल- पर जाकर निबंधन करें।
2. निबंधन के पश्चात् निवेशक के ईमेल आई.डी. पर उपयोगकर्ता पहचान संख्या प्राप्त होगा जिसका उपयोग दोबारा लॉगिन करके आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा।
3. ऑनलाईन आवेदन फॉर्म को कुल छः चरणों में भरा जायेगा।

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज:-

1. आधार कार्ड
2. पंजीकरण का प्रमाणीकरण
3. पंजीकरण समझौता प्रमाणपत्र
4. मशीनरी कोटेशन प्रमाणपत्र
5. भूमि दस्तावेज प्रमाणपत्र
6. पैनकार्ड
7. बैंक स्टेटमेन्ट प्रमाणपत्र
8. उपयोगिता बिल प्रमाणपत्र (बिजली विपत्र)
9. उपयोगिता बिल प्रमाणपत्र (बिजली विपत्र)
10. किराया या भूमि समझौता प्रमाणपत्र

सहायक दस्तावेज

1. मौजूदा मशीनरी एवं उपकरणों की सूची
 2. नई परियोजना शुरू करने के लिए धन का स्रोत
 3. प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि की उपयुक्तता और पर्याप्तता
- वैकल्पिक दस्तावेज
1. 3 साल के आई० टी० आर० के साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट
 2. लाइसेंस की प्रति आदि
 3. जी०एस०टी०आई०एल० पंजीकरण
 4. जी०एस०टी० रिटर्न
 5. सक्रिय ऋण विवरण यदि कोई हो

आवेदन करने हेतु जानकारी एवं अन्य सूचनाओं के लिए अपने जिला संसाधन सेवी (District Resource Person)से संपर्क कर सकते हैं :-

जिला संसाधन सेवी की सूची

क्र०	जिला	नाम	मो० नं०
1	अररिया	पियुष कुमार यादव	7909025163
2	अररिया	निशांत कुमार	8298655577
3	औरंगाबाद	अश्विनी कुमार पाण्डेय	6200272904
4.	बेगूसराय	राहुल कुमार	7983818012
5.	बेगूसराय	आरती कुमारी	6396075637
6.	बेगूसराय	रविशंकर कुमार	9430553307
7.	भोजपुर	प्रभु नाथ मिश्रा	7004519645
8.	दरभंगा	श्रवण कुमार राय	7985193639
9.	पूर्वी चंपारण	रमेश कुमार पुरी	9305088094
10.	गया	राकेश प्रियदर्शी	7056274415
11.	गया	शिखा प्रियदर्शी	9931998414
12.	गोपालगंज	दीपक कुमार	7004959693
13.	जमुई	प्रिंश राज	6200740810
14.	कैमूर	रवि रंजन कुमार	7488182792

15.	खगड़िया	रौशन कुमार	6201491824
16.	लखीसराय	हर्ष अग्रवाल	8873494007
17.	मधेपुरा	अंशु कुमार सिंह	8709473674
18.	मधेपुरा	प्रशांत कुमार	9431203236
19.	मधेपुरा	रिपियन कुमार	7903533295
20.	मधुबनी	प्रशान्त कुमार	7004337346
21.	मुंगेर	आनन्द साहिल	8433062828
22.	मुजफ्फरपुर	रश्मि किशोरी	8210157411
23.	नालंदा	दीपक कुमार	7903891143
24.	नालंदा	आदित्य प्रताप	9631788621
25.	नवादा	गौरव कुमार	7766069622
26.	नवादा	गुलशन कुमार	9162639187
27.	पश्चिमी चंपारण	नवनीत राज	8507184090
28.	पश्चिमी चंपारण	उज्जवल कुमार	8863905213
29..	पटना	रवि रंजन कुमार	9304331383

30.	पटना	रितेश कुमार	6394039362
31.	पूर्वी चंपारण	सुजित कुमार गुप्ता	9795544335
32.	पूर्वी चंपारण	राहुल कुमार रंजन	8051638282
33.	पूर्णिया	प्रभात रंजन	9650288689
34.	पूर्णिया	सुमन सागर	8279662343
35.	पूर्णिया	संदीप कुमार	8051693241
36.	रोहतास	गौरव आनंद	7668688305
37.	रोहतास	कुमारी गरीमा सिन्हा	7667466042
38.	सहरसा	मनीष कुमार	6204467420
39.	समस्तीपुर	अंकित कुमार	6210471319
40.	समस्तीपुर	अवकाश कुमार आनंद	7763994500
41.	सारण	किशोर	9504815856
42.	सारण	मंजित पाण्डेय	7004417827
43.	शिवहर	दीनानाथ कुमार	8699194798
44.	शिवहर	राजन कुमार	9135285336
45.	सीतामढ़ी	रौशन कुमार	7250302642

46.	सिवान	अमीना अंजुम	7978667186
47.	सिवान	आदित्य अजय	7417181734
48.	वैशाली	विजय कुमार	8969040551
49.	कटिहार	मो० तहसीन रजा	7301471255
50.	अरवल	संजीव कुमार	7541055111
51.	बांका	सुरज कुमार	8789835775
52.	भागलपुर	प्रदीप कुमार भारती	9006506095
53.	बक्सर	नवीन कुमार	9507655371
54.	जहानाबाद	विजय शंकर	9471884911
55.	लक्खीसराय	सुभाष कुमार	8084262645
56.	सुपौल	करुणेश भारती	7739098838

विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

1. संबंधित जिला उद्योग केन्द्र, कोषांग
2. पी.एम.एफ.एम.ई. निदेशक
3. निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार,

<http://mofpi-nic-in/pmfme/> पर संपर्क किया जा सकता है।